

एस.सी.ई.आर.टी., बिहार द्वारा विकसित

दो वर्षीय सेवाकालीन  
डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन  
(दूरस्थ शिक्षा)

विद्यालय आधारित कार्यक्रम

(School Based Programme)

(द्वितीय सत्र व चतुर्थ सत्र)

**समझ-पुस्तिका**

द्वितीय संस्करण



राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्  
(एस.सी.ई.आर.टी.), महेंद्र, पटना (बिहार)

## विद्यालय आधारित कार्यक्रम (School Based Programme)

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के केन्द्र में एक सजग, सक्रिय और प्रतिबद्ध शिक्षक का होना आवश्यक है। साथ ही यह भी जरूरी है कि वह शिक्षक स्कूली गतिविधि के विभिन्न आयामों को न सिर्फ समीक्षात्मक ढंग से समझे बल्कि वह कुशलतापूर्वक इससे जुड़ी गतिविधियों को अंजाम भी दे सकें। पिछले दो-तीन दशकों में सिद्धांत और व्यवहार का अर्थपूर्ण संबंध स्थापित कर उन्हें एक दूसरे की कसौटी पर कसने की प्रक्रियायें लगातार बढ़ी हैं। कहने को प्रत्येक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'शिक्षण-अभ्यास' उसका एक अनिवार्य हिस्सा होता है, पर ऐसा कम ही हो पाता है कि शिक्षायी चिंतन को सक्रिय रूप से शिक्षण अभ्यास का हिस्सा बनाया जाये। नतीजतन शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिद्धांतों को जपने की प्रवृत्ति तो बढ़ती ही है साथ ही शिक्षण अभ्यास एक हस्तक्षेपकारी अनुभव होने की बजाय महज एक अकादमिक कवायद बनकर रह जाती है। शिक्षण अभ्यास को शिक्षा के सिद्धांतों, शिक्षण-शास्त्र व शिक्षायी चिंतन से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। कोशिश यह है कि शिक्षण-अभ्यास के अनुभव शिक्षायी विमर्श को समझने का आधार बनें तथा शिक्षायी विमर्श, शिक्षण-अभ्यास को और समीक्षात्मक बनाने में मददगार बने।

विद्यालय आधारित कार्यक्रम से तात्पर्य है विद्यालय में होने वाले कार्यों व गतिविधियों का समग्र अनुभव। इसका मूल उद्देश्य प्रशिक्षुओं में शिक्षण अभ्यास के साथ-साथ विद्यालय से जुड़ी अन्य गतिविधियों की समझ भी विकसित करना है। साथ ही, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षु अपने शिक्षण व विद्यालय में अपनी भूमिका के प्रति एक आलोचनात्मक व मननशील दृष्टिकोण भी विकसित कर पाएँगे। दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय आधारित कार्यक्रम में यह माना जाता है कि शिक्षक का विद्यालयी अनुभव पर्याप्त है। इसलिए अनुभवी शिक्षकों को ही इसमें दाखिला मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रमुख अवयव या भाग हैं— शिक्षण अभ्यास, एक्शन रिसर्च, विद्यालय गतिविधियाँ एवं विद्यालय उन्नयन योजना।

### विद्यालय आधारित कार्यक्रम के मूल्यांकन की रूपरेखा

**SBP-1 विद्यालय आधारित कार्यक्रम** – 100 अंक (60 अंक आंतरिक मूल्यांकन एवं 40 अंक बाह्य परीक्षा)

**SBP-2 विद्यालय आधारित कार्यक्रम** – 100 अंक (60 अंक आंतरिक मूल्यांकन एवं 40 अंक बाह्य परीक्षा)

विद्यालय आधारित कार्यक्रम	सरणी-1: द्वितीय सत्र एवं चतुर्थ सत्र में SBP का मूल्यांकन			
	आंतरिक मूल्यांकन : 60 अंक		बाह्य मूल्यांकन : 40 अंक	
	टिप्पणी	अंक	टिप्पणी	अंक
शिक्षण अभ्यास	प्रशिक्षु द्वारा बनाए गए 'सीखने की योजना' यानि 'लर्निंग प्लान' (लिखित स्वरूप) की गुणवत्ता का अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी द्वारा समीक्षा एवं मूल्यांकन	10	बाह्य परीक्षक द्वारा प्रशिक्षु के कक्षा शिक्षण का अवलोकन एवं मूल्यांकन	25
	विद्यालय में मेंटर द्वारा प्रशिक्षु के कक्षा शिक्षण का अवलोकन, समीक्षा एवं मूल्यांकन	25		
एक्शन रिसर्च	अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी द्वारा प्रशिक्षु के एक्शन रिसर्च पर सुझाव तथा उसके रिपोर्ट की समीक्षा एवं मूल्यांकन	15	बाह्य परीक्षक द्वारा एक्शन रिसर्च रिपोर्ट, विद्यालय गतिविधि रिपोर्ट व विद्यालय उन्नयन योजना रिपोर्ट की मौखिक परीक्षा	15 (5+5+5)
विद्यालय गतिविधियाँ	अध्ययन केन्द्र समन्वयक द्वारा विद्यालय गतिविधि पर सुझाव तथा उसके रिपोर्ट की समीक्षा एवं मूल्यांकन	5		
विद्यालय उन्नयन योजना	अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी द्वारा विद्यालय उन्नयन योजना पर सुझाव तथा उसके रिपोर्ट की समीक्षा एवं मूल्यांकन	5		

**सारणी-2: विद्यालय आधारित कार्यक्रम का संचालन : विभिन्न व्यक्तियों एवं स्थानों का स्पष्टीकरण**

शिक्षण अभ्यास		स्थान	
आंतरिक मूल्यांकन	<p>प्रशिक्षु द्वारा बनाए गए 'सीखने की योजना' यानि 'लर्निंग प्लान' (लिखित स्वरूप) की गुणवत्ता का अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी द्वारा समीक्षा एवं मूल्यांकन</p>	<p><b>SBP-1:</b> यहां साधनसेवी से तात्पर्य है- गणित, अंग्रेजी तथा पर्यावरण अध्ययन के साधनसेवी (प्रथम तथा द्वितीय सत्र)।</p> <p><b>SBP-2:</b> यहां साधनसेवी से तात्पर्य है- हिन्दी, गणित, अंग्रेजी तथा मैथिली/बांगला/उर्दू के साधनसेवी (तृतीय तथा चतुर्थ सत्र)।</p>	प्रशिक्षु का अध्ययन केन्द्र
	<p>विद्यालय में मेंटर द्वारा प्रशिक्षु के कक्षा शिक्षण का अवलोकन, समीक्षा एवं मूल्यांकन</p> <p><i>नोट : एक मेंटर अधिकतम तीन प्रशिक्षुओं का मेंटरिंग कर सकता/सकती है। मेंटर के चयन में आगे दिए गए न्यूनतम शर्तों के साथ-साथ अकादमिक योग्यता की वरीयता को भी ध्यान में रखा जाए।</i></p>	<p>यहां मेंटर से तात्पर्य है-</p> <p>(अ). प्रशिक्षु के कार्यरत विद्यालय का कोई प्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिका (अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण उपरान्त न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य)</p> <p>(ब). यदि 'अ' की उपलब्धता न हो तो, संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक (अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण उपरान्त न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य)</p> <p>(स). यदि 'ब' की उपलब्धता भी न हो तो निकटवर्ती विद्यालय का कोई प्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिका (अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण उपरान्त न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य)</p> <p>(द). यदि 'स' की उपलब्धता भी न हो तो, कोई सेवानिवृत्त प्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिका या सेवानिवृत्त शिक्षक-प्रशिक्षक (अध्यापक शिक्षा में अनिवार्य प्रशिक्षण)</p>	प्रशिक्षु के विद्यालय की कक्षाएं
बाह्य मूल्यांकन	<p>बाह्य परीक्षक द्वारा प्रशिक्षु के कक्षा शिक्षण का अवलोकन एवं मूल्यांकन</p> <p><i>नोट: एक बाह्य परीक्षक द्वारा लगभग दस प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षु के सभी विषयों के मूल्यांकन के लिए एक ही बाह्य परीक्षक होगा।</i></p>	<p>बाह्य परीक्षक का निर्धारण निदेशक (दूरस्थ शिक्षा निदेशालय), एस.सी.ई.आर.टी. (बिहार) द्वारा किया जाएगा।</p> <p>ये बाह्य परीक्षक शिक्षण अभ्यास के छठे सप्ताह के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु के विद्यालय में किसी एक दिन जाकर लर्निंग प्लान के आधार पर उनके कक्षा शिक्षण का अवलोकन व मूल्यांकन करेंगे।</p>	प्रशिक्षु के विद्यालय की कक्षाएं
एक्शन रिसर्च		स्थान	
आंतरिक मूल्यांकन	<p>अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी द्वारा प्रशिक्षु के एक्शन रिसर्च पर सुझाव तथा उसके रिपोर्ट की समीक्षा एवं मूल्यांकन</p>	<p>यहां साधनसेवी से तात्पर्य है-</p> <p>'विद्यालय की समझ व कक्षा प्रबंधन' विषयपत्र का अपने अध्ययन केन्द्र का साधनसेवी (द्वितीय तथा चतुर्थ सत्र में)</p>	प्रशिक्षु का अध्ययन केन्द्र
बाह्य मूल्यांकन	<p>बाह्य परीक्षक द्वारा एक्शन रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर प्रशिक्षु की मौखिक परीक्षा</p>	<p>बाह्य परीक्षक का निर्धारण निदेशक (दूरस्थ शिक्षा निदेशालय), एस.सी.ई.आर.टी. (बिहार) द्वारा किया जाएगा।</p>	प्रशिक्षु का अध्ययन केन्द्र

विद्यालय गतिविधियाँ			स्थान
आंतरिक मूल्यांकन	अध्ययन केन्द्र समन्वयक द्वारा विद्यालय गतिविधि पर सुझाव तथा उसके रिपोर्ट की समीक्षा एवं मूल्यांकन	यहां अध्ययन केन्द्र समन्वयक से तात्पर्य है— अपने अध्ययन केन्द्र का समन्वयक	प्रशिक्षु का अध्ययन केन्द्र
बाह्य मूल्यांकन	बाह्य परीक्षक द्वारा विद्यालय गतिविधि रिपोर्ट के आधार पर प्रशिक्षु की मौखिक परीक्षा	बाह्य परीक्षक का निर्धारण निदेशक (दूरस्थ शिक्षा निदेशालय), एस.सी.ई.आर.टी. (बिहार) द्वारा किया जाएगा।	प्रशिक्षु का अध्ययन केन्द्र
विद्यालय उन्नयन योजना			स्थान
आंतरिक मूल्यांकन	अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी द्वारा विद्यालय उन्नयन योजना पर सुझाव तथा उसके रिपोर्ट की समीक्षा एवं मूल्यांकन	यहां साधनसेवी से तात्पर्य है— <b>SBP-1:</b> 'विद्यालय और शिक्षा नीति' विषयपत्र का अपने अध्ययन केन्द्र का साधनसेवी <b>SBP-2:</b> 'विद्यालय की समझ व कक्षा प्रबंधन-2' विषयपत्र का अपने अध्ययन केन्द्र का साधनसेवी	प्रशिक्षु का अध्ययन केन्द्र
बाह्य मूल्यांकन	बाह्य परीक्षक द्वारा विद्यालय उन्नयन योजना रिपोर्ट के आधार पर प्रशिक्षु की मौखिक परीक्षा	बाह्य परीक्षक का निर्धारण निदेशक (दूरस्थ शिक्षा निदेशालय), एस.सी.ई.आर.टी. (बिहार) द्वारा किया जाएगा।	प्रशिक्षु का अध्ययन केन्द्र

## शिक्षण अभ्यास

शिक्षण अभ्यास के क्रम में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र को समझना और उसे अभ्यास क्रम का हिस्सा बनाना इस पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ ज़रूरत होती है कि हम शिक्षण अभ्यास के क्रम में अपनी जिम्मेदारी (अकादमिक, शैक्षिक व सामाजिक) को शिक्षा के वृहत्तर परिणाम व लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में समझें। कक्षा के भीतर की प्रक्रिया कोई पृथक घटना नहीं है, बल्कि इसका गहरा जुड़ाव विभिन्न सामाजिक व ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से होता है। शिक्षक अपने सार्थक कर्म के माध्यम से असमान सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध हस्तक्षेप करता है। उसकी यह भूमिका एक सांस्कृतिक कर्मी की तरह होती है। अतः शिक्षण-अभ्यास में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षु-शिक्षक न सिर्फ शिक्षा के तकनीकी पक्ष को समझ पायें बल्कि वे अपनी हस्तक्षेपकारी भूमिका को भी साकार रूप दे सकें। कोशिश यह होनी चाहिए कि वे अनुभवों के जरिये रूढ़िवादी समाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं को तार्किक ढंग से चुनौती दे सकें। इस क्रम में पाठ-योजना के पारंपरिक स्वरूप में क्रांतिकारी बदलाव लाने की अपेक्षा है जिसके नए स्वरूप में बालकेन्द्रित शिक्षा, लोकतांत्रिक सौंच, सृजनशीलता, आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र, आदि अवधारणाओं को बढ़ावा दिया जा सके। इसी संदर्भ में यहां 'पाठ-योजना' (Lesson Plan) के पारंपरिक प्रारूप के स्थान पर 'सीखने की योजना' (Learning Plan) के एक लचीले, तार्किक एवं नवाचारी स्वरूप को लाने की कोशिश है।

'सीखने की योजना' (Learning Plan) में कई ऐसे सवालों को उठाया गया है जिससे प्रशिक्षु शिक्षण की प्रक्रिया तथा उसमें अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इसके साथ-साथ, नये प्रारूप में प्रशिक्षुओं से कई अपेक्षाएं भी हैं जैसे-अलग अलग नीतिगत दस्तावेजों से अपने लर्निंग प्लान को जोड़कर देखना, अलग-अलग पाठ्यपुस्तकों से लेकर पाठ्यक्रम तक को संदर्भ में रखकर लर्निंग प्लान को बनाना। आगे 'सीखने की योजना' से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों एवं सुझावात्मक प्रारूप को दिया जा रहा है।

सीखने की योजना यानि 'लर्निंग प्लान' बिहार के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की एक नई पहल है। पारम्परिक 'पाठ-योजना' के प्रारूप में समकालीन शैक्षिक दर्शन के अनुरूप अपेक्षित संशोधन एवं परिमार्जन करके इसके सुझावात्मक प्रारूप की रूपरेखा को गढ़ा गया है। अपनी नई रूपरेखा में 'लर्निंग प्लान' कई क्रांतिकारी परिवर्तनों को समाए हुए है जिसकी संक्षिप्त चर्चा यहां दी जा रही है जिनके माध्यम से प्रशिक्षुओं को लर्निंग प्लान बनाने की एक दिशा मिलेगी।

'Learning Plan' के बारे में सबसे पहला सवाल इसके नाम को लेकर आता है कि इसे पूर्ववत की भांति 'Lesson Plan' ही क्यों नहीं कहा गया। इसके पीछे यह समझ थी कि इस प्रारूप को 'Learning Plan' कहने से प्रशिक्षु इसको अपने 'Learning' से जोड़कर ज्यादा देख पाएंगे, जबकि 'Lesson Plan' कहने से ऐसा रूढ़ भाव आता है कि यह प्लान बच्चों को सीखाने के लिए है न कि प्रशिक्षु के स्वयं के सीखने के लिए। अतः 'Learning Plan' कहने से यह तात्पर्य है कि यह प्लान प्रशिक्षुओं और बच्चों, दोनों के 'लर्निंग' के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।

चूंकि लर्निंग प्लान एक नई पहल है अतः इसके प्रति कई प्रकार की धारणाएं हो सकती हैं, खासकर उनके मन में जिन्होंने अभी के समय से पहलेवाले पद्धति में प्रशिक्षण लिया हुआ है और जो हमारे प्रशिक्षुओं के अपने विद्यालय में शिक्षण कर रहे होंगे। अतः प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा है कि वे अपने उन साथियों को भी लर्निंग प्लान के बारे में समझाएं जो सिर्फ 'पाठ योजना' वाले प्रारूप से ही अवगत हैं। 'Lesson Plan' और 'Learning Plan' के प्रारूप का तुलनात्मक विवरण नीचे टेबल में दिया जा रहा है, जिसको गौर से समझने की जरूरत है।

पाठ योजना 'Lesson Plan'	सीखने की योजना 'Learning Plan'
<p><b>प्रारूप के प्रमुख बिन्दु</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● सूचनात्मक विवरण</li> <li>● सामान्य उद्देश्य</li> <li>● विशिष्ट उद्देश्य</li> <li>● विद्यार्थियों का पूर्व-ज्ञान/अनुभव</li> <li>● शिक्षण-अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.)</li> <li>● विषय प्रवेश</li> <li>● शिक्षक क्रियाशीलन</li> <li>● छात्र क्रियाशीलन</li> <li>● पुनरावृत्ति</li> <li>● गृहकार्य</li> <li>● स्वमूल्यांकन</li> </ul>	<p><b>प्रारूप के प्रमुख बिन्दु</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● सूचनात्मक विवरण</li> <li>● विषयवस्तु से सम्बंधित पूर्व समझ की समीक्षा <ul style="list-style-type: none"> <li>■ विद्यार्थियों का विषयवस्तु से सम्बंधित पूर्व समझ</li> <li>■ शिक्षक का विषयवस्तु से सम्बंधित पूर्व समझ</li> <li>■ स्कूली पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम से विषयवस्तु का सम्बंध</li> </ul> </li> <li>● विषयवस्तु का विवरण एवं सीखने का महत्व <ul style="list-style-type: none"> <li>■ इस विषयवस्तु में किसप्रकार का ज्ञान निहित है</li> <li>■ विद्यार्थियों को यह विषयवस्तु क्यों सीखना चाहिए</li> </ul> </li> <li>● सीखने-सिखाने की विधि/विधियों का शिक्षणशास्त्रीय चयन <ul style="list-style-type: none"> <li>■ शिक्षण विधियों का चयन करना</li> <li>■ उनके चयन के पीछे का शिक्षणशास्त्रीय तर्क</li> </ul> </li> <li>● शिक्षणशास्त्रीय योजना का संक्षिप्त विवरण</li> <li>● शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिन्दु</li> <li>● अवलोकनकर्ता की टिप्पणी <ul style="list-style-type: none"> <li>■ अवलोकनकर्ता द्वारा कक्षा-शिक्षण का आंखोंदेखी वर्णन</li> <li>■ आंखोंदेखी वर्णन पर समीक्षात्मक टिप्पणी एवं सुझाव</li> </ul> </li> </ul>

जैसा कि उपरोक्त टेबल के विश्लेषण से देखा जा सकता है कि 'सीखने की योजना' में कई नए बदलावों को किया गया है। इन बदलावों के माध्यम से यह अपेक्षा की गई है कि प्रशिक्षुओं में अपने शिक्षण के प्रति चिंतन-मनन एवं विश्लेषण करने की प्रवृत्ति का विकास होगा। जहां 'पाठ योजना' का पारम्परिक प्रारूप शिक्षक के समक्ष चिंतन सम्बंधी कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था और वहीं 'सीखने की योजना' को बनाने के दौरान हर कदम पर शिक्षक को चिंतन-मनन एवं विश्लेषण करने की अनिवार्य जरूरत पड़ेगी। इसमें, शिक्षक को अपने शिक्षणशास्त्रीय समझ का इस्तेमाल करने की बाध्यता होगी और उसे अपने शिक्षण की समझ एवं कार्य को तार्किक एवं उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी।

यदि विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि पारम्परिक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, टी.एल.एम. एवं पूर्व ज्ञान एक रिवाज के तौर पर लिखे जानेवाले कार्य हो गए थे, जिनको लिखते समय प्रशिक्षु किसी प्रकार के चिंतन या सवालों से नहीं जुझते थे। ना ही इन बिन्दुओं को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाता था। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में अंतर क्या है या फिर वे उद्देश्य कहां से आए हैं, इनपर कोई गम्भीर चिंतन करने की गुंजाईश पाठ योजना में मुश्किल से ही मिल पाती थी। सामान्यतः प्रशिक्षु अपने मन से उन उद्देश्यों की रचना कर देते थे, जबकि उन उद्देश्यों का मूल स्रोत उस कक्षा की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम है जहां स्पष्ट तौर पर उनका वर्णन है। अतः 'सीखने की योजना' में सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य को अलग से ना देखकर उन्हें पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के आधार पर समझने पर जोर दिया गया है और उन्हें विषयवस्तु की पूर्व समझ की समीक्षा का अंग बनाया गया है।

साथ ही, यदि पूर्व-ज्ञान की चर्चा करें तो पाठ योजना में 'पूर्व ज्ञान' या 'पूर्व-अनुभव' को केवल बच्चों के संदर्भ में ही समझा जाता रहा है कि बच्चे उस विषयवस्तु के बारे में पहले से कितना जानते हैं। यहां 'सीखने की योजना' में 'पूर्व समझ की समीक्षा' में शिक्षक की अपनी पूर्व-समझ को भी स्थान दिया गया है ताकि वह अपनी समझ को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्ययोजना को बनाए।

अब आगे बढ़ें तो 'पाठ योजना' में विषय प्रवेश या विषयवस्तु का विवरण देकर छोड़ दिया जाता था और इस बात पर कभी चिंतन नहीं किया जाता था कि वह विषयवस्तु बच्चों को पढ़ाना क्यों जरूरी है? आखिर उस विषयवस्तु के शिक्षण से बच्चों में कौन सी उपयोगी समझ विकसित होगी। अतः 'सीखने की योजना' में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षक/शिक्षिका न सिर्फ विषयवस्तु के शिक्षण को समझे बल्कि उससे पहले यह समझे कि वह विषयवस्तु बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और उसे पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया गया है। तभी वह सही दिशा में सीखने की योजना को बना पाएगा/पाएगी।

'पाठ योजना' और 'सीखने की योजना' में एक मूलभूत अंतर है 'सीखने-सिखाने' के प्रति वैचारिक दृष्टिकोण को लेकर। जहां पाठ योजना में शिक्षण-विधि (Methodology) पर जोर था वहीं सीखने की योजना में शिक्षणशास्त्र (Pedagogy) पर जोर है। शिक्षण विधि का मूल जोर ज्ञान को सिखाने मात्र पर होता है जबकि शिक्षणशास्त्र (Pedagogy) का मूल ध्येय यह है कि बच्चे न सिर्फ किसी ज्ञान को सीखें बल्कि उसको प्रयोग करने की सोच भी उनमें जागृत हो और वे वास्तविक परिस्थितियों में उस ज्ञान का प्रयोग करें। इसके साथ ही, पाठ-योजना को बनाने के दौरान यह सवाल शिक्षक कभी भी स्वयं से नहीं करता था कि वह जिन शिक्षण विधियों को चुन रहा है, उनको चुनने के पीछे क्या कारण और तर्क है। जबकि 'सीखने की योजना' में इस सवाल से ही योजना बनाने की शुरुआत होती है। शिक्षक को अपने द्वारा पढ़े एवं समझे गए तमाम शिक्षणशास्त्रीय सिद्धांतों (दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, प्रबंधात्मक, आदि) के आधार पर यह तर्क देने की बाध्यता है कि वह उन्हीं शिक्षण विधियों को क्यों चुन रहा है और क्या उन विधियों का कक्षायी संदर्भों के साथ कोई तालमेल है।

अब यदि योजना की बात करें तो पाठ—योजना में हम पाते हैं कि यह अधिक संरचनात्मक एवं पूर्व निर्धारित है। इसमें शिक्षक पहले ही स्वयं से सब कुछ निर्धारित कर लेता है जैसेकि कक्षा की सारी परिस्थितियां उसके नियंत्रण में हैं या उसपर उसका पूर्ण वर्चस्व है। एक बालकेन्द्रित या लोकतांत्रिक कक्षा के लिए यह सोंच अति घातक है। अतः 'सीखने की योजना' में शिक्षणशास्त्रीय योजना लचीलेपन और कक्षायी चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है जिसमें शिक्षणशास्त्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों को आधार बनाना अनिवार्य है। 'पाठ योजना' सामान्यतः किसी भी कक्षा को आदर्श स्थिति में मानकर चलती है वहीं 'सीखने की योजना' में कक्षा की वास्तविक स्थिति व संदर्भ को ध्यान में रखने पर जोर दिया गया है। अतः एक ही विषयवस्तु के लिए अलग-अलग स्कूलों की परिस्थितियों में अलग-अलग 'सीखने की योजना' का होना स्वतः ही स्वीकार्य है। कोई भी 'सीखने की योजना' अपने संदर्भ से कटकर सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती है। इसलिए, सीखने की योजना में शिक्षक के सामने आनेवाली कक्षायी चुनौतियों को उजागर करने पर बल दिया गया है न कि उन्हें छुपाने पर। साथ ही, सीखने की योजना में बच्चों की सहभागिता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ऐसी कक्षा जिसमें बच्चों को सवाल पूछने का पूरा-पूरा अवसर दिया जाए, साथ ही उनके उत्तरों को भी ढूँढने का उनको पहले अवसर मिले और फिर शिक्षक द्वारा उनकी सहायता की जाए। योजना के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों जैसे समावेशी कक्षा की अवधारणा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जेण्डर के प्रति संवेदनशीलता, सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनैतिक आयामों की पड़ताल, आदि को प्रारूप में सुविधा के लिए सुझावात्मक रूप से लिख दिया गया है ताकि योजना बनाते समय प्रशिक्षुओं को इनका ध्यान रहे।

साथ ही यदि स्वमूल्यांकन की बात करें तो यह जितने गम्भीर तरीके से किया जाएगा, उतना ही इसका प्रभाव शिक्षक के आगे के विकास पर पड़ेगा। लेकिन, यह पाया गया है कि शिक्षक इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और सिर्फ औपचारिकता मात्र के लिए कुछ भी इस में भाग लिख देते हैं जैसे— 'मेरा शिक्षण अच्छा रहा', 'आज मैंने संतोषप्रद शिक्षण किया', आदि-आदि, जिससे उन्हें चिंतन में कोई मदद नहीं मिलती है। इसलिए सीखने की योजना में इस भाग को मजबूत किया गया है और चिंतन के कुछ प्रमुख सवालों को इसका हिस्सा बनाया गया है जिनका उत्तर प्रशिक्षुओं को अनिवार्य रूप से सोंच कर देना होगा। स्वमूल्यांकन एक प्रकार से अपने कार्य पर सोंचने का व्यायाम है, जिसे करने से शिक्षकों में चिंतन की प्रवृत्ति के आदत को स्थायी बनाने में मदद मिलेगी। सीखने की योजना का यह स्पष्ट मानना है कि "जो शिक्षक सोंचते नहीं हैं वे वास्तव में शिक्षक नहीं हैं"।

पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष टी.एल.एम. भी रहा है जिसे पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है, भले उसका प्रयोग शिक्षक कक्षागत परिस्थितियों में करे या न करे। 'सीखने की योजना' में टी.एल.एम. को कक्षा-शिक्षण के बाद निर्धारित करने की बात कही गयी है। इसके अनुसार, कोई भी वस्तु तब तक टी.एल.एम. नहीं है जब तक कि उसका कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रभावी उपयोग न किया गया हो। साथ ही, शिक्षक द्वारा चयनित वस्तुएं ही सिर्फ टी.एल.एम. नहीं हैं बल्कि बच्चों स्वयं भी कई टी.एल.एम. को कक्षा के दौरान सुझाते हैं। अतः उन्हें भी टी.एल.एम. माना जाना चाहिए। सीखने की योजना में टी.एल.एम. को स्वमूल्यांकन के बिन्दु के रूप में लिया गया है जिसमें और भी कई चिंतन के बिन्दुओं को शामिल किया गया है।

साथ ही, सीखने की योजना के माध्यम से प्रशिक्षु तभी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे जब उनके शिक्षण पर कोई समीक्षात्मक टिप्पणी या फिडबैक मिल सके। इसके लिए अवलोकन के बिन्दुओं को भी शामिल किया गया है। अवलोकनात्मक बिन्दु स्वयं में अर्थपूर्ण हो सकें इसलिए समीक्षा के बिन्दुओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी सुझाया गया है। अंत में यह कहना जरूरी है कि 'सीखने की योजना' का वास्तविक निर्माण कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों में ही होता है, उसे पहले से निर्धारित करना असम्भव है।

## सीखने की योजना : Learning Plan

शिक्षक/शिक्षिका का नाम :		तिथि :
कक्षा :	कालांश :	विषय :
इकाई :	विषयवस्तु का शीर्षक:	

<b>विषयवस्तु से संबंधित पूर्व समझ की समीक्षा</b>	<b>Review of the pre-understanding about the topic</b>
--	--

**विद्यार्थियों का विषयवस्तु से सम्बंधित पूर्व-समझ :**

क्या जो पढ़ाये जानेवाला शीर्षक है, उससे बच्चे पहले से परिचित हैं? क्या विषयवस्तु के अंदर चर्चित बातें बच्चों के परिवेश या आस-पास की दुनिया में शामिल है? कैसे या कैसे नहीं?

.....

.....

**शिक्षक का विषयवस्तु से सम्बंधित पूर्व-समझ:**

क्या आपने इस विषयवस्तु को पहले पढ़ा या पढ़ाया है? क्या आप के पास इस विषयवस्तु की पर्याप्त समझ है, जिससे कि आप उसे बच्चों को पढ़ा सकें?

.....

.....

**स्कूली पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम से विषयवस्तु का सम्बंध :**

यह विषयवस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों/बिन्दुओं से जुड़ा हुआ है? यह विषयवस्तु इस कक्षा के और किन-किन विषयों/इकाइयों से जुड़ा है? क्या यह विषयवस्तु पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, कैसे?

.....

.....

**विषयवस्तु के शिक्षणशास्त्रीय योजना का निर्माण**

**Pedagogical Planning of the topic**

**विषयवस्तु/उप विषयवस्तु का विवरण एवं सीखने का महत्व :**

पाठ में दिए अनुसार विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय लिखें। फिर, चिंतन-मनन के माध्यम से यह विश्लेषण भी लिखें कि यह विषयवस्तु बच्चों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? कौन-कौन से महत्वपूर्ण ज्ञान निहित है इसमें और इससे बच्चों के विकास के किन आयामों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा?

.....

.....

**सीखने-सिखाने की विधि/विधियों का शिक्षणशास्त्रीय चयन :**

विषयवस्तु को पढ़ाने के लिए आप किन-किन शिक्षण-विधियों को चुनेंगे? आपने उन्हीं विधियों को ही क्यों चुना, डी.एल.एड. के विभिन्न विषयपत्रों में दिये गये सिद्धांतों को ध्यान में रखकर विश्लेषण अवश्य लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

कुछ सुझावात्मक विधि

प्रयोग	खोज
खेल	रोल-प्ले

सामूहिक चर्चा

समूह कार्य

एकल कार्य

पठन-लेखन

परिभ्रमण

कला आधारित शिक्षण

प्रश्नोत्तरी विधि

आई.सी.टी. :  
मोबाईल, टी.वी.,  
कम्प्यूटर द्वारा



सीखने की विधि/विधियों तथा शिक्षणशास्त्र का संक्षिप्त विवरण	Functional Plan
योजना	ध्यान में रखने योग्य समावेशी बिन्दु
.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>● क्या बच्चों के संदर्भ को ध्यान में रखा गया है? आप किसप्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे।</li> <li>● बच्चों को स्वयं से सीखने का कितना अवसर है? उन्हें सवाल पुछने का कितना अवसर है?</li> <li>● सीखने-सिखाने का समयानुपात क्या है? एक कालांश का कितना समय शिक्षक के सक्रिय निर्देशन में है और कितना समय बच्चों को स्वतंत्र चिंतन व कार्य करने के लिए दिया गया है।</li> <li>● क्या चर्चा में समाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आदि मुद्दों को शामिल करने की संभावना है?</li> <li>● एन.सी.एफ.-2005 व बी.सी.एफ.-2008 के सुझाए बिन्दुओं का कितना ध्यान रखा गया है?</li> <li>● क्या योजना में सामाजिक व संवैधानिक मूल्यों को समाहित करने की संभावना है?</li> <li>● क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कोई प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही है?</li> <li>● इस योजना के क्रियावयन में आपको क्या-क्या चुनौतियां आ सकती हैं?</li> <li>● इस योजना में कितना लचीलापन है, अर्थात कक्षा के माहौल के हिसाब से इस योजना में बदलाव की कितनी संभावना हो सकती है।</li> <li>● क्या योजना में जेण्डर संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है।</li> <li>● क्या कक्षा के अंत में पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता है? यदि हां तो कैसे करेंगे।</li> <li>● इस विषयवस्तु के लिए किसप्रकार का गृहकार्य उपयोगी होगा।</li> </ul>

शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिन्दु (शिक्षण के बाद किया जानेवाला कार्य)
कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे? विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे? क्या उन सवालों के उत्तर को कक्षा में अच्छी तरह समझाया गया, या फिर अगली कक्षा में उनपर बात करनी होगी?
.....
क्या जिन विद्यार्थियों को विशेष सहायता या अनुपूरक शिक्षण की जरूरत है, उनकी पहचान मैंने की?
.....
विषयवस्तु के शिक्षण में मैंने किन शिक्षण-अधिगम सामग्रियों (टी.एल.एम.) का प्रयोग किया? उनकी क्या उपयोगिता रही?
.....
क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषयवस्तु थी? इसका मूल्यांकन मैंने किया कि नहीं।
.....
शिक्षण के दौरान मुझको कक्षा में क्या किसी परेशानी का समना करना पड़ा? इस विषयवस्तु को यदि दुबारा पढ़ाना हो तो मैं सीखने की योजना में क्या बदलाव करूंगा/करुंगी।
.....
इस विषयवस्तु से संबंधित ऐसे सवाल जिन्हें अपने संस्थान के विषय-विशेषज्ञ तथा मेंटर से चर्चा करना की अपेक्षा है।
.....
कोई अन्य टिप्पणी
.....



उपरोक्त लर्निंग प्लान एक सुझावात्मक प्रारूप है, जिसमें विषय अथवा संदर्भ के अनुरूप बदलाव लाने की पूरी संभावना है। लेकिन बदलाव के साथ-साथ यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि वे इसके आधारभूत उद्देश्यों के सापेक्ष हों। लर्निंग प्लान के प्रारूप को प्रभावी तरीके से बनाने के लिए जगह-जगह पर कुछ उदाहरणों, चिंतन के बिंदुओं, नीतिगत दस्तावेजों के आधारभूत सिद्धांतों आदि का जिक्र किया गया है। प्रशिक्षुओं, साधनसेवियों, मेंटरों एवं बाह्य परीक्षकों को इन्हें ध्यान में रखने की अपेक्षा है। आगे परिशिष्ट-1 में लर्निंग प्लान के एक उदाहरण को दिया गया है, ताकि इसके प्रारूप को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सके। प्रशिक्षु से यह अपेक्षा है कि वे एक कॉपी में प्रस्तावित प्रारूप के आधार पर विभिन्न विषयों से लर्निंग प्लान को बनाएं। **केवल स्वहस्तलिखित लर्निंग प्लान ही मान्य होगा।**

एक लर्निंग प्लान से तात्पर्य एक अध्याय अथवा इकाई नहीं है। बल्कि, लर्निंग प्लान से तात्पर्य है एक कालांश के लिये सीखने-सिखाने की रूपरेखा। एक ही अध्याय अथवा इकाई में इसके कई शीर्षकों व अवधारणाओं को लेकर कई लर्निंग प्लान बनाए जा सकते हैं।

### बॉक्स-1: शिक्षण अभ्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

अवधि :

- न्यूनतम तीस (30) कार्य दिवस (द्वितीय सत्र एवं चतुर्थ सत्र में अलग-अलग)
- लगातार छः (06) सप्ताह
- प्रति सप्ताह पाँच (05) दिन (सोमवार-शुक्रवार)
- शनिवार व रविवार: योजना निर्माण, तैयारी व परामर्श सत्र के लिये अध्ययन केन्द्र पर विचार-विमर्श

सीखन की योजना (लर्निंग प्लान):

- एक सत्र में न्यूनतम तीस (30) लर्निंग प्लान का निर्माण व शिक्षण (सारणी-3 के अनुसार)
- प्रति विषय न्यूनतम दो (02) लर्निंग प्लान की समीक्षा : संबंधित विषय के साधनसेवी द्वारा
- प्रति विषय न्यूनतम दो (02) लर्निंग प्लान के कक्षागत क्रियांवयन का मेंटर द्वारा अवलोकन
- प्रति विषय न्यूनतम एक (01) लर्निंग प्लान के कक्षागत क्रियांवयन का बाह्य परीक्षक के द्वारा अवलोकन

सारणी-3: विद्यालय आधारित कार्यक्रम में लर्निंग प्लान निर्माण की न्यूनतम अपेक्षा			
SBP-1 (द्वितीय सत्र)		SBP-2 (चतुर्थ सत्र)	
विषय	न्यूनतम लर्निंग प्लान	विषय	न्यूनतम लर्निंग प्लान
गणित	10	हिन्दी	08
अंग्रेजी	10	गणित	07
पर्यावरण अध्ययन	10	अंग्रेजी	07
—	—	हिन्दी / मैथिली / उर्दू / बांगला	08
<b>कुल</b>	<b>30</b>	<b>कुल</b>	<b>30</b>

## कक्षागत शिक्षण :

शिक्षण अभ्यास के दौरान प्रतिदिन अधिकतम दो लर्निंग प्लान का शिक्षण मान्य होगा। प्रशिक्षु अपने लर्निंग प्लान को रोजाना इस प्रकार से बनाएं कि वे पहलेवाले लर्निंग प्लान के शिक्षण के अनुभव को आगामी लर्निंग प्लान के बनाने में इस्तेमाल कर सकें।

साथ ही, प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन भी अति महत्वपूर्ण है। अतः इसके लिये आंतरिक मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था है जिसके विभिन्न आयामों को सारणी-1, सारणी-2 तथा बॉक्स-1 में समझाया गया है। शिक्षण अभ्यास में सामूहिक एवं विकेन्द्रित मूल्यांकन की व्यवस्था को बढ़ावा दिये जाने की कोशिश की गई है। उदाहरण के तौर पर, लिखित लर्निंग प्लान की गुणवत्ता पर दिये जाने वाले 10 अंक को संबंधित विषयों के साधनसेवियों द्वारा सामूहिक रूप से आपसी चर्चा के आधार पर मूल्यांकित किया जाना है। साथ ही, 25 अंक मेंटर के द्वारा तथा 25 अंक बाह्य परीक्षक के द्वारा दिए जाने की व्यवस्था की गई है जिससे मूल्यांकन का विकेन्द्रन हो सके।

शिक्षण अभ्यास के छठे सप्ताह में जिस दिन बाह्य परीक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण का अवलोकन व मूल्यांकन किया जाएगा, उस दिन विशेष स्थिति के अंतर्गत प्रशिक्षु द्वारा दो से अधिक लर्निंग प्लान का शिक्षण मान्य होगा।

## स्वमूल्यांकन :

प्रशिक्षुओं द्वारा अपने शिक्षण का स्वमूल्यांकन भी अति आवश्यक है। इसके बिना शिक्षण-अभ्यास की पूरी प्रक्रिया अधूरी है। लर्निंग प्लान में स्वमूल्यांकन के कुछ प्रमुख बिन्दुओं को दिया गया है, जिन्हें अनिवार्य रूप से हर लर्निंग प्लान के क्रियावयन के बाद करना है। इसके साथ ही, प्रशिक्षु अपना स्वमूल्यांकन मूलतः दो अन्य माध्यमों से भी करेंगे :

- **प्रशिक्षु डायरी** – पूरे शिक्षण अभ्यास के दौरान प्राप्त चुनौतियों व अनुभवों को प्रशिक्षुगण दिनवार अपनी डायरी में लिखेंगे तथा अपने मेंटर के साथ चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से चिंतन-मनन द्वारा वे स्वयं के शिक्षण की समीक्षा तथा संवर्द्धन कर पायेंगे।
- **विद्यार्थियों का मूल्यांकन** – प्रशिक्षुओं द्वारा अपने शिक्षण का स्वमूल्यांकन विद्यार्थियों के सीखने के आधार पर भी करना अति महत्वपूर्ण है। अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को आधार बनाकर वे अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी करें और एक समग्र रिपोर्ट अंत में अपने अध्ययन केन्द्र समन्वयक को प्रस्तुत करें। अध्ययन केन्द्र समन्वयक उस रिपोर्ट को विभिन्न विषयों के साधनसेवियों के साथ साझा करें तथा लर्निंग प्लान की गुणवत्ता के मूल्यांकन (10 अंक) में इसे भी आधार के रूप में लिया जाए।

## एक्शन रिसर्च

अपने शिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को कई समस्याओं व चुनौतियों का अनुभव होना संभावित है। साथ ही उनके मन में शिक्षा से सम्बंधित कई जिज्ञासायें भी होंगी। एक कुशल अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शिक्षण समस्याओं, चुनौतियों व जिज्ञासाओं का समाधान वैज्ञानिक विधि (Scientific method) के माध्यम से करें। अतः प्रशिक्षुओं को शिक्षण के साथ-साथ शोध-कार्य करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। इसी उद्देश्य के संदर्भ में विद्यालय आधारित कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं के लिए एक्शन रिसर्च को भी रखा गया है।

- **एक्शन रिसर्च का विषय एवं प्रक्रिया** – यहां एक्शन रिसर्च को कक्षा में किसी विषय की अवधारणा को सीखने-सिखाने से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में लिया गया है। अर्थात्, यदि बच्चों को किसी विषय के किसी खास अवधारणा को समझने में समस्या आ रही हो तो वह एक्शन रिसर्च का एक विषय होगा। उदाहरण के तौर पर, कई बच्चे ठीक तरह से जोड़ या घटाव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे उनकी समझ में क्या कमी है इसकी पड़ताल करके और उसके आधार पर उन्हें पुनः समझाना व उनकी समस्या को दूर करना एक एक्शन रिसर्च होगा।
- **एक्शन रिसर्च के शीर्षक को मूलतः कक्षा शिक्षण और विषय से सम्बंधित ही रखा गया है।** अतः प्रशिक्षुओं से अपेक्षा है कि वे अपने विद्यालय में जिन विषयों का शिक्षण करते हैं उनसे सम्बंधित समस्याओं को ही एक्शन रिसर्च के रूप में लें। विद्यालय के अन्य समस्याओं यथा-बच्चों की स्कूल में उपस्थिति या मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों की उपस्थिति कम होना, विद्यालय में कमरों की कमी, आदि शीर्षकों को यहां एक्शन रिसर्च के दायरे से बाहर रखा गया है, अतः वे इनको न लें।
- एक्शन रिसर्च को करने के कुछ सामान्य से सोपान हैं जिन्हें नीचे दिया जा रहा है। प्रशिक्षुओं से अपेक्षा है कि वे इन सोपानों के आधार पर एक्शन रिसर्च को करें तथा साथ-साथ उसका दस्तावेजीकरण या रिपोर्ट भी बनाते जाएं। प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा है कि वे अपने एक्शन रिसर्च के कुछ साक्ष्यों को भी रिपोर्ट में दर्ज करें और उसे वास्तविकता के आधार पर लिखें। ऐसा हो सकता है कि उनके द्वारा जमा की गई एक्शन रिसर्च रिपोर्ट की वैधता को जांचने के लिए उनके विद्यालय से सम्पर्क साधा जाए या फिर उनकी कक्षा में उनके एक्शन रिसर्च के प्रभाव का सीधा मूल्यांकन किया जाए। अतः अपने द्वारा किए जानेवाले एक्शन रिसर्च की चर्चा वे अपने विद्यालय के सहकर्मियों से भी करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में प्रत्यक्ष पता चले और उनसे भी फिडबैक लिया जा सके।

**एक्शन रिसर्च के निम्नलिखित सोपान हो सकते हैं :**

*सोपान-1: समस्या का पता लगाना : एक्शन रिसर्च के शीर्षक का चयन*

*सोपान-2: समस्या के कारणों का पता लगाना : आंकड़ों की मदद से*

*सोपान-3: समस्या के हल के लिए उपाय या उपायों का निर्धारण : कार्य योजना बनाना*

*सोपान-4: कार्य योजना को कक्षा में लागू करना*

*सोपान-5: कार्य योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना*

*सोपान-6: समस्या का समाधान न होनेपर सोपान 2, 3, 4, 5, 6 को पुनः दोहराना*

- **कालावधि :** पूरे पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को दो एक्शन रिसर्च करने होंगे। प्रशिक्षुओं से अपेक्षा है कि वे प्रथम सत्र के अंत तक अपने पहले एक्शन रिसर्च के विषय को आवंटित अध्ययन केन्द्र पर सूचित करें तथा अगले सत्र के दौरान उसे पूरा करके द्वितीय सत्र के अंत में आवंटित अध्ययन केन्द्र पर उसकी रिपोर्ट जमा करें। पुनः, दूसरे एक्शन रिसर्च के विषय को आवंटित अध्ययन केन्द्र पर तृतीय सत्र के अंत तक सूचित करें तथा अगले सत्र के दौरान उसे पूरा करके चतुर्थ सत्र के अंत में आवंटित अध्ययन केन्द्र पर उसकी रिपोर्ट जमा करें। एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट को लगभग 1500-2000 शब्दों लिखें। **केवल स्वहस्तलिखित रिपोर्ट ही मान्य होगा।**
- **एक्शन रिसर्च का मूल्यांकन :** प्रशिक्षु द्वारा किये गये एक्शन रिसर्च का मूल्यांकन आवंटित अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी द्वारा की जायेगी, जो शोध के सिद्धांतों के आधार पर रिपोर्ट का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही, बाह्य परीक्षक द्वारा भी इस रिपोर्ट को देखा जायेगा तथा इस विषय में मौखिक परीक्षा ली जायेगी।

## विद्यालय गतिविधियाँ

शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य गतिविधियों में भी अध्यापक की संलग्नता अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे गतिविधियाँ भी विद्यालय में सीखने-सीखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। अतः प्रशिक्षुओं से अपेक्षा है कि वे विद्यालय से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियों के आयोजन, संचालन व क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता निभायेंगे तथा विद्यालय में नयी-नयी गतिविधियों की शुरुआत भी करेंगे। ये गतिविधियाँ कई तरह की हो सकती हैं, उदाहरणतः

- विद्यालय में प्रतिदिन की गतिविधियाँ (प्रातः सभा, खेल, समय-सारणी निर्माण, इत्यादि)
- सांस्कृतिक कार्यक्रम/समारोह/बाल सभा/वार्षिकोत्सव
- डी०एल०एड० पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय पत्रों में दिये गये विद्यालय से सम्बंधित प्रस्तावित कार्य
- **कालावधि** : इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ-साथ, प्रशिक्षुगण विद्यालयों में भी पढ़ा रहे हैं। अतः, वे अपने विद्यालय के पूरे अकादमिक वर्ष के दौरान किए जाने वाले विद्यालयी गतिविधियों में भाग लेते हैं। पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय सत्र के दौरान, अपने विद्यालय में पठन-पाठन के अलावा जिन गतिविधियों में प्रशिक्षुओं ने भाग लिया हो, उसके विषय में एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाएँगे तथा द्वितीय सत्र के अंत में इस रिपोर्ट को अपने अध्ययन केन्द्र पर समन्वयक को जमा करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया पुनः तीसरे और चौथे सत्र के लिये दोहरायी जायेगी तथा चतुर्थ सत्र के अंत में एक और रिपोर्ट को अध्ययन केन्द्र पर जमा किया जाएगा। प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा की जाती है कि रिपोर्ट की एक प्रति को वे अपने मेंटर को भी दें। इस रिपोर्ट को लगभग 500-800 शब्दों लिखें। **केवल स्वहस्तलिखित रिपोर्ट ही मान्य होगा।**
- **मूल्यांकन** : विद्यालय गतिविधि रिपोर्ट के आंतरिक मूल्यांकन को अध्ययन केन्द्र समन्वयक द्वारा उस प्रशिक्षु के मेंटर से चर्चा करके किया जाएगा। साथ ही, बाह्य परीक्षक द्वारा भी इसके रिपोर्ट को देखकर मौखिक परीक्षा ली जायेगी।

## विद्यालय उन्नयन योजना निर्माण

किसी भी विद्यालय के विकास के लिए उसके शिक्षकों का अपने विद्यालय के प्रति लगाव होना जरूरी है क्योंकि जब तक लगाव नहीं होगा तब तक वे अपने रोजाना कार्यों के अलावा अपने विद्यालय के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यालय उन्नयन योजना निर्माण का कार्य प्रशिक्षुओं के लिए इस प्रोग्राम में जोड़ा गया है। यहां, विद्यालय उन्नयन योजना का सामान्य सा उद्देश्य है प्रत्येक प्रशिक्षु को अपने विद्यालय के प्रति सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे कि वह अपने विद्यालय के साथ वास्तविक रूप से स्वयं को जोड़ पाए। इस कार्य को कराने का एक और उद्देश्य यह भी है कि प्रशिक्षु ऐसे विद्यालय की कल्पना करने के लिए भी सक्षम हो सकें जैसा वे अपने विद्यालय को बनाना चाहते हैं। इस कार्य को करने के दौरान प्रशिक्षु अपने विद्यालय के वास्तविक स्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी कल्पना के आदर्श विद्यालय की सोच के प्रति उन्मुख हो सकेंगे।

सामान्यतः विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता के साथ-साथ, विद्यालय आधारित कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं का विद्यालय विशेष के संदर्भ में भी कई अनुभव रहते हैं। साथ ही, इन अनुभवों के आधार पर उन्हें तमाम आँकड़े प्राप्त होते हैं जिनका सदुपयोग वे उन्नयन योजना को बनाने में कर सकते हैं। अतः विद्यालय आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत यह अपेक्षा की गई है कि प्रशिक्षु उन आँकड़ों का विश्लेषण करके

विद्यालय के लिए एक उन्नयन योजना का निर्माण करें जिसमें विद्यालय के विकास के लिए सुधारात्मक सुझाव दिये जायें तथा योजना की रूपरेखा में विद्यालय के विभिन्न आयामों का आलोचनात्मक अध्ययन भी किया जाए। यहां विद्यालय उन्नयन योजना को एक सामान्य से स्वरूप में देखा गया है जिसमें विद्यालय के किसी भी पक्ष (भवन सम्बंधी, अन्य अवसंरचना सम्बंधी, अकादमिक, प्रबंधनात्मक) को लेकर उसकी वर्तमान वस्तुस्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन करके दूसरे सत्र में प्रथम रिपोर्ट जमा करना होगा।

उदाहरण के तौर पर, विद्यालय उन्नयन योजना के कई विषय हो सकते हैं। विद्यालय की समय-सारणी का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें क्या कमी है इसकी समीक्षा करके रिपोर्ट बनाना, विद्यालय के प्रबंधनात्मक स्वरूप का आलोचनात्मक अध्ययन करना, उन्नयन योजना का एक भाग हो सकता है। विद्यालय में अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है, उसका आलोचनात्मक अध्ययन करना, अपने विद्यालय के अन्य शिक्षकों के शिक्षण का विश्लेषण करके उनमें लर्निंग प्लान के बारे में समझ को समृद्ध करना, अपने विद्यालय को पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम बनाना, आदि अनेक शीर्षक हो सकते हैं।

यह स्पष्ट है कि विद्यालय उन्नयन योजना के प्रथम रिपोर्ट में सिर्फ वर्तमान वास्तविक स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन ही प्रस्तुत करना है। अध्ययन रिपोर्ट में वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ तथा अन्य आंकड़ों आदि को देने से उसकी वैधता बढ़ जाएगी। अतः सभी प्रशिक्षुओं से इसकी अपेक्षा है।

विद्यालय उन्नयन योजना की दूसरी रिपोर्ट चौथे सत्र में जमा करनी होगी। दूसरी रिपोर्ट पहले रिपोर्ट के बाद के कार्य पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर यदि पहले रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया गया कि विद्यालय में साफ-सफाई की कमी है या विद्यालयी संसाधनों को व्यवस्थित करने की जरूरत है तो तीसरे और चौथे सत्र के दौरान प्रशिक्षु ने उस दिशा में क्या प्रयास किया, यह दूसरे रिपोर्ट में दिया जाएगा। यहां प्रयास का अर्थ यह नहीं है कि प्रशिक्षु सिर्फ अपने बल पर अपने विद्यालय की स्थिति को ठीक करने की कोशिश करे बल्कि 'प्रयास' से तात्पर्य है कि प्रशिक्षु ने डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयपत्रों से बनी समझ के आधार पर सबको साथ लेकर विद्यालय के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाएं। वह अपने प्रयास में सफल होता है या असफल, यह दूसरी बात है। मुख्य बात यह है कि वह किस प्रकार के गम्भीर प्रयास करता है और उसको किन-किन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, वह उनका समाधान कैसे करता है और यदि असफल होता है तो इसके पीछे क्या कारण है। इन सब बातों को उसे अपने दूसरे रिपोर्ट में लिखना होगा।

अतः प्रशिक्षु को कुल मिलाकर दो रिपोर्ट लिखने हैं लेकिन वे आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए विद्यालय उन्नयन योजना एक ही है, उसके भाग दो हैं। यह नहीं हो सकता है कि दूसरे सत्र में प्रशिक्षु किसी अन्य उन्नयन योजना पर आलोचनात्मक रिपोर्ट दे और चौथे सत्र में किसी अन्य पर सुझावात्मक रिपोर्ट दे।

- **कालावधि** : इसकी प्रक्रिया के लिये प्रशिक्षु प्रथम एवं द्वितीय सत्र का समय लेंगे तथा अपने विद्यालय के वास्तविक स्थिति के ऊपर एक आलोचनात्मक रिपोर्ट बनायेंगे तथा उसे अपने अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी तथा अपने मेंटर को जमा करेंगे। उसके बाद, आगामी तृतीय एवं चतुर्थ सत्र के दौरान वे अपने पहले रिपोर्ट के आलोक में अपने विद्यालय के लिये उन्नयन योजना का निर्माण करेंगे तथा उसे पुनः अपने अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी तथा अपने मेंटर को जमा करेंगे। इस प्रकार, प्रशिक्षुओं को कुल मिलाकर दो रिपोर्ट बनाने होंगे। इस रिपोर्ट को लगभग 500-800 शब्दों लिखें। **केवल स्वहस्तलिखित रिपोर्ट ही मान्य होगा।**
- **मूल्यांकन** : विद्यालय उन्नयन योजना रिपोर्ट का आंतरिक मूल्यांकन अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी द्वारा उस प्रशिक्षु के मेंटर से चर्चा करके किया जाएगा। साथ ही, बाह्य परीक्षक द्वारा भी इसके रिपोर्ट को देखकर मौखिक परीक्षा ली जायेगी।

प्रशिक्षु का विद्यालय आधारित कार्यक्रम							
1.	अवयव	शिक्षण अभ्यास		एक्शन रिसर्च	विद्यालय गतिविधियां	उन्नयन योजना	
2.	स्वरूप	लिखित लर्निंग प्लान	कक्षा अवलोकन	कार्य तथा रिपोर्ट	कार्य तथा रिपोर्ट	कार्य तथा रिपोर्ट	
3.	आंतरिक मूल्यांकन	साधनसेवीगण अंक 10	मेंटर अंक 25	साधनसेवी अंक 15	केन्द्र समन्वयक अंक 05	साधनसेवी अंक 05	
4.	बाह्य मूल्यांकन	—	बाह्य परीक्षक—1 अंक 25	बाह्य परीक्षक—2 अंक 05			
5.	कुल अंक	10	50	20	10	10	
6.	मूल्यांकनकर्ता की संख्या	SBP-1: तीन साधनसेवी SBP-2: तीन/चार	एक मेंटर और एक बाह्य परीक्षक	SBP-1: दो साधनसेवी, एक केन्द्र समन्वयक, एक बाह्य परीक्षक SBP-2: एक साधनसेवी, एक केन्द्र समन्वयक, एक बाह्य परीक्षक			

इस बार के SBP-1 के लिए कैलेण्डर				
महीना	सप्ताह	दिन	प्रमुख कार्य	
निर्देशानुसार		शनिवार	अध्ययन केन्द्र समन्वयक एवं साधनसेवियों की आपसी बैठक तथा प्रशिक्षुओं के साथ SBP के स्वरूप पर एकदिवसीय चर्चा (दोनों दिन, अलग-अलग)	
		रविवार		
	SBP पहला सप्ताह	सोमवार	<ul style="list-style-type: none"> <li>पहले सप्ताह के दौरान ही मेंटरों का चयन अध्ययन केन्द्र समन्वयक द्वारा कर ली जाएगी तथा इसकी सूचना जिला समन्वयक को दे दी जाएगी।</li> <li>प्रशिक्षु लर्निंग प्लान बनाकर शिक्षण करना शुरू कर देंगे।</li> <li>प्रशिक्षुओं द्वारा एक्शन रिसर्च का शीर्षक निर्धारित कर लिया जाएगा (पहले सत्र में आपने इसपर काम किया होगा) तथा आगामी शनिवार या रविवार को संबंधित साधनसेवी से इस संबंध में चर्चा कर ली जाएगी।</li> </ul>	
		मंगलवार		
		बुधवार		
		गुरुवार		
		शुक्रवार		
		शनिवार		साधनसेवियों से लर्निंग प्लान की समीक्षा तथा एक्शन रिसर्च पर चर्चा
		रविवार		साधनसेवियों से लर्निंग प्लान की समीक्षा तथा एक्शन रिसर्च पर चर्चा
	SBP दूसरा सप्ताह	सोमवार	<ul style="list-style-type: none"> <li>अध्ययन केन्द्र समन्वयक का सभी मेंटरों से संपर्क तथा विद्यालय आधारित कार्यक्रम में उनकी भूमिका को उन्हें समझाना।</li> <li>प्रशिक्षु द्वारा एक्शन रिसर्च के कार्य को आगे बढ़ाना।</li> <li>प्रशिक्षु द्वारा लर्निंग प्लान के आधार पर शिक्षण।</li> <li>मेंटर द्वारा प्रशिक्षुओं के कक्षाओं का अवलोकन तथा टिप्पणी।</li> </ul>	
		मंगलवार		
		बुधवार		
		गुरुवार		
		शुक्रवार		
		शनिवार		साधनसेवियों से लर्निंग प्लान की समीक्षा तथा विद्यालय गतिविधियों पर चर्चा
		रविवार		साधनसेवियों से लर्निंग प्लान की समीक्षा तथा विद्यालय गतिविधियों पर चर्चा
	SBP तीसरा सप्ताह	सोमवार	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षु द्वारा लर्निंग प्लान के आधार पर शिक्षण।</li> <li>मेंटर द्वारा प्रशिक्षुओं के कक्षाओं का अवलोकन तथा टिप्पणी।</li> <li>प्रशिक्षु द्वारा एक्शन रिसर्च के कार्य को आगे बढ़ाना।</li> <li>प्रशिक्षु द्वारा कुछ विद्यालय गतिविधियों का आयोजन तथा मेंटर द्वारा अवलोकन।</li> </ul>	
		मंगलवार		
		बुधवार		
		गुरुवार		
		शुक्रवार		
		शनिवार		साधनसेवियों से लर्निंग प्लान की समीक्षा तथा विद्यालय उन्नयन योजना पर चर्चा
		रविवार		साधनसेवियों से लर्निंग प्लान की समीक्षा तथा विद्यालय उन्नयन योजना पर चर्चा



निर्देशानुसार	SBP चौथा सप्ताह	सोमवार	● प्रशिक्षु द्वारा लर्निंग प्लान के आधार पर शिक्षण।
		मंगलवार	● मेंटर द्वारा प्रशिक्षुओं के कक्षाओं का अवलोकन तथा टिप्पणी।
		बुधवार	● प्रशिक्षु द्वारा एक्शन रिसर्च के कार्य को आगे बढ़ाना।
		गुरुवार	● विद्यालय गतिविधि रिपोर्ट को तैयार करना।
		शुक्रवार	● विद्यालय उन्नयन योजना के आलोचनात्मक रिपोर्ट को तैयार करना।
		शनिवार	लर्निंग प्लान की समीक्षा तथा विद्यालय उन्नयन योजना रिपोर्ट को जमा करना।
		रविवार	लर्निंग प्लान की समीक्षा तथा विद्यालय उन्नयन योजना रिपोर्ट को जमा करना।
	SBP पांचवा सप्ताह	सोमवार	● प्रशिक्षु द्वारा लर्निंग प्लान के आधार पर शिक्षण।
		मंगलवार	● मेंटर द्वारा प्रशिक्षुओं के कक्षाओं का अवलोकन तथा टिप्पणी।
		बुधवार	● प्रशिक्षु द्वारा एक्शन रिसर्च के रिपोर्ट को तैयार करना।
		गुरुवार	
		शुक्रवार	
		शनिवार	लर्निंग प्लान की समीक्षा तथा विद्यालय गतिविधियों रिपोर्ट को जमा करना
		रविवार	लर्निंग प्लान की समीक्षा तथा विद्यालय गतिविधियों रिपोर्ट को जमा करना
	SBP छठा सप्ताह	सोमवार	● प्रशिक्षु द्वारा लर्निंग प्लान के आधार पर शिक्षण।
		मंगलवार	● बाह्य परीक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण का अवलोकन तथा टिप्पणी।
		बुधवार	● प्रशिक्षु द्वारा एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट को तैयार करना।
		गुरुवार	
		शुक्रवार	
		शनिवार	एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट को जमा करना। बाह्य परीक्षक द्वारा एक्शन रिसर्च रिपोर्ट, विद्यालय गतिविधि रिपोर्ट तथा विद्यालय उन्नयन योजना रिपोर्ट के आधार पर मौखिक परीक्षा।
		रविवार	एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट को जमा करना। बाह्य परीक्षक द्वारा एक्शन रिसर्च रिपोर्ट, विद्यालय गतिविधि रिपोर्ट तथा विद्यालय उन्नयन योजना रिपोर्ट के आधार पर मौखिक परीक्षा।
	सोमवार	प्रशिक्षु द्वारा विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करना तथा इसके रिपोर्ट को तैयार करके	
	मंगलवार	अध्ययन केन्द्र समन्वयक को जमा कराना।	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● अध्ययन केन्द्र के सम्बद्ध साधनसेवियों द्वारा आपसी चर्चा के माध्यम से प्रत्येक प्रशिक्षु के 'सीखने की योजना' के लिखित स्वरूप का आंतरिक मूल्यांकन करके इसे अध्ययन केन्द्र समन्वयक को जमा कराना।</li> <li>● अध्ययन केन्द्र के सम्बद्ध साधनसेवी द्वारा एक्शन रिसर्च के रिपोर्टों का आंतरिक मूल्यांकन करके उसे अध्ययन केन्द्र समन्वयक को जमा कराना।</li> <li>● मेंटर द्वारा प्रशिक्षुओं के शिक्षण अभ्यास के आंतरिक मूल्यांकन को अध्ययन केन्द्र समन्वयक को जमा कराना।</li> <li>● केन्द्र समन्वयक द्वारा विद्यालय गतिविधि रिपोर्ट के आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करना।</li> <li>● साधनसेवी द्वारा विद्यालय उन्नयन योजना रिपोर्ट के आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करना।</li> <li>● शिक्षण अभ्यास के बाह्य परीक्षक द्वारा प्रशिक्षुओं के कक्षा शिक्षण का मूल्यांकन करके उसे निदेशक (दूरस्थ शिक्षा निदेशालय) के निर्देशानुसार जमा कराना।</li> <li>● सभी प्रकार के मूल्यांकन के आंकड़ों को अध्ययन केन्द्र समन्वयक द्वारा निर्देशानुसार जिला समन्वयक को जमा कराना।</li> <li>● यदि कैलेण्डर में कोई संशोधन होगा तो उसे सूचित किया जाएगा।</li> </ul>			

परिशिष्ट-1

सीखने की योजना : Learning Plan का एक उदाहरण

शिक्षक/शिक्षिका का नाम : .....	तिथि : .....
कक्षा : 2	कालांश : तीसरा
अध्याय : 7	विषयवस्तु का शीर्षक : इकाई, दहाई, सैकड़ा

**विषयवस्तु से संबंधित पूर्व समझ की समीक्षा** Review of the pre-understanding about the topic

**विद्यार्थियों का विषयवस्तु से सम्बंधित पूर्व-समझ :**  
 क्या जो पढ़ाये जानेवाला शीर्षक है, उससे बच्चे पहले से परिचित हैं? क्या विषयवस्तु के अंदर चर्चित बातें बच्चों के परिवेश या आस-पास की दुनिया में शामिल हैं? कैसे या कैसे नहीं?  
 जीवन में प्रयोग के आधार पर वे इससे परिचित हैं लेकिन अवधारणात्मक रूप से उनकी इसकी विशेष समझ है यह कहा नहीं जा सकता। शुरुआती ज्ञान अवश्य है जिसके आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है।

**शिक्षक का विषयवस्तु से सम्बंधित पूर्व-समझ:**  
 क्या आपने इस विषयवस्तु को पहले पढ़ा या पढ़ाया है? क्या आप के पास इस विषयवस्तु की पर्याप्त समझ है, जिससे कि आप उसे बच्चों को पढ़ा सकें?  
 पिछले साल भी पढ़ाया है और इसकी पर्याप्त समझ मुझमें है। .....

**स्कूली पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम से विषयवस्तु का सम्बंध :**  
 यह विषयवस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों/बिन्दुओं से जुड़ा हुआ है? यह विषयवस्तु इस कक्षा के और किन-किन विषयों/इकाइयों से जुड़ा है? क्या यह विषयवस्तु पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, कैसे?  
 बच्चों को खेल-खेल में गणितीय अवधारणाओं से परिचय कराना। किसी गणितीय अवधारणा के प्रति बच्चों की अपनी व्यवहारिक क्या समझ है, उसे समझना। बच्चों को स्वयं से सीखने का मौका देना।  
 जहां-जहां गिनती या स्थानीय मान की बात होगी, उससे यह विषयवस्तु स्वतः ही जुड़ जाएगी।  
 अंक, गिनती, आदि शामिल है लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा की अवधारणा एक साथ कहीं पर नहीं है।

**विषयवस्तु के शिक्षणशास्त्रीय योजना का निर्माण** Pedagogical Planning of the topic

**विषयवस्तु/उप विषयवस्तु का विवरण एवं सीखने का महत्व :**  
 पाठ में दिए अनुसार विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय लिखें। फिर, चिंतन-मनन के माध्यम से यह विश्लेषण भी लिखें कि यह विषयवस्तु बच्चों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? कौन-कौन से महत्वपूर्ण ज्ञान निहित है इसमें और इससे बच्चों के विकास के किन आयामों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा?  
 इस अध्याय में इकाई, दहाई और सैकड़ा की अवधारणा को समझाने के लिए कुछ रोचक गतिविधियों को दिया गया है। साथ ही, तीन अंकों की संख्या को शब्दों में कैसे लिखा जाए, इसे सिखलाने पर जोर दिया गया है। इस अध्याय के माध्यम से बच्चे तीन अंकों की संख्याओं के मान को समझ पाएंगे।

<b>सीखने-सिखाने की विधि/विधियों का शिक्षणशास्त्रीय चयन :</b> विषयवस्तु को पढ़ाने के लिए आप किन-किन शिक्षण-विधियों को चुनेंगे? आपने उन्हीं विधियों को ही क्यों चुना, डी.एल.एड. के विभिन्न विषयपत्रों में दिये गये सिद्धांतों को ध्यान में रखकर विश्लेषण अवश्य लिखें। पहले, स्वयं से समझना। फिर, कुछ गतिविधियों को एकल कार्य के रूप में बच्चों को करने के लिए देना। उसके बाद, कक्षा में इससे संबंधित एक खेल का आयोजन करना जिसमें सभी बच्चों की भूमिका हो।	कुछ सुझावात्मक विधि
	प्रयोग
	खेल
	सामूहिक चर्चा
	समूह कार्य
	एकल कार्य
	पठन-लेखन
परिभ्रमण	

<p>क्योंकि इस तीन अंको वाली संख्याओं की अवधारणा से बच्चों को पहली बार परिचय कराया जा रहा है, इस लिए इसके विषय में कुछ आधारभूत बातों को पहले समझाना जरूरी है। फिर उस समझ के साथ बच्चों को जुड़ने के लिए कुछ समय देना चाहिए ताकि वे कुछ प्रश्नों को लेकर स्वयं से यह आजमा पाएं कि वे इस अवधारणा को कैसे समझ रहे हैं। एकल कार्य के माध्यम से शिक्षक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत समझ का जायजा ले सकेगा और यह विश्लेषित कर पाएगा कि कितने बच्चों ने इस अवधारणा को समझ लिया है, कितने समझने के करीब हैं और किन्हें समझने में अतिरिक्त मदद करने की आवश्यकता है।</p> <p>खेल विधि की दो प्रमुख विशेषताएं हैं— यह छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करता है, और बच्चों को बिना भय के मजे-मजे में सीखने का मौका देता है। विषयपत्र 'बाल विकास व मनोविज्ञान' एवं 'गणित का शिक्षणशास्त्र' में इसकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि..... । इसी लिए इन विधियों को चुना गया है।</p>	<p>कला आधारित शिक्षण प्रश्नोत्तरी विधि आई.सी.टी. : मोबाईल, टी.वी., कम्प्यूटर द्वारा</p>
<p><b>सीखने की विधि/विधियों तथा शिक्षणशास्त्र का संक्षिप्त विवरण</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>योजना</b></p> <p>यह चालीस मिनट की कक्षा है जिसके शुरूआती दस से पंद्रह मिनट के दौरान अध्याय में दिए गए उदाहरण तथा कुछ अन्य संदर्भगत उदाहरणों की चर्चा के माध्यम से इकाई, दहाई, सैकड़ा की अवधारणा को समझाने की कोशिश शिक्षक द्वारा की जाएगी।</p> <p>फिर उस अवधारणा को लेकर बच्चों की शुरूआती समझ क्या बनी है इसको जानने के लिए उन्हें कुछ एकल कार्य करने को दिए जाएंगे। इसके लिए लगभग दस मिनट का समय दिया जाएगा। इस दौरान शिक्षक/शिक्षिका द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि बच्चे बिना किसी हिचक या डर के अपने द्वारा खोजे गए उत्तरों को उससे साझा कर सकें। शिक्षक/शिक्षिका उनके उत्तरों को देख कर यह मोटी-मोटी समझ बना लेंगे कि उस कक्षा के कितने बच्चों ने इस अवधारणा को समझ लिया, कितने समझने के करीब हैं और कितनों को समझाने के लिए और प्रयास करने होंगे। जो अब तक नहीं समझ पाए हैं उनको समझाने के लिए शिक्षक/शिक्षिका ने पीयर-लर्निंग के तौर पर एक खेल विधि को चुना है जो इसके बाद किया जाएगा।</p> <p>इस खेल विधि में पांच-पांच के ऐसे समूह बना दिए जाएंगे कि हर समूह में लगभग हर स्तर की समझवाले बच्चे हों। इस प्रकार सात समूह A, B, C, D, E, F, G बनेंगे। हर समूह को बारी-बारी से खेल खेलने के लिए समय दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर 'समूह-A' को यह मौका दिया जाएगा कि वह 'समूह-B' के किसी एक बच्चे को चुने जो उनके लिए तीन अंको की किसी संख्या को बोर्ड पर प्रश्न के रूप में लिखेगा/लिखेगी जिसे शब्दों में लिखना होगा। उसी समय 'समूह-B' को यह मौका दिया जाएगा वह 'समूह-A' के किसी बच्चे को चुने जिसे उस प्रश्न का उत्तर बोर्ड पर जाकर हल करना होगा। दोनों बच्चों को बोर्ड के पास आना होगा और इस खेल को खेलना होगा। इस प्रकार हर समूह इस कोशिश में रहेगा कि उसके हर सदस्य को</p>	<p style="text-align: center;"><b>ध्यान में रखने योग्य समावेशी बिन्दु</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● क्या बच्चों के संदर्भ को ध्यान में रखा गया है? आप किसप्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे।</li> <li>● बच्चों को स्वयं से सीखने का कितना अवसर है? उन्हें सवाल पुछने का कितना अवसर है?</li> <li>● सीखने-सिखाने का समयानुपात क्या है? एक कालांश का कितना समय शिक्षक के सक्रिय निर्देशन में है और कितना समय बच्चों को स्वतंत्र चिंतन व कार्य करने के लिए दिया गया है।</li> <li>● क्या चर्चा में समाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आदि मुद्दों को शामिल करने की संभावना है?</li> <li>● एन.सी.एफ.-2005 व बी.सी.एफ.-2008 के सुझाए बिन्दुओं का कितना ध्यान रखा गया है?</li> <li>● क्या योजना में सामाजिक व संवैधानिक मुद्दों को समाहित करने की संभावना है?</li> <li>● क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कोई प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही है?</li> <li>● इस योजना के क्रियाव्ययन में आपको क्या-क्या चुनौतियां आ सकती हैं?</li> </ul>

<p>इकाई, दहाई, सैकड़ा की अवधारणा आ जाए और हर बच्चा बड़ी रुचि के साथ उसे जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करेगा ताकि इस खेल में वह अपने समूह के प्रदर्शन को अच्छा कर सके। बारी-बारी से हर समूह को मौका दिया जाएगा। इस दौरान शिक्षक/शिक्षिका हर समूह को यह अभिप्रेरित करते रहे कि वे अपने प्रत्येक सदस्य को खेल के लिए तैयार करें क्योंकि किसी की भी बारी आ सकती है। हर समूह को शिक्षक कुछ शुरुआती मदद भी कर सकते हैं। यहां यह चुनौती आ सकती है कि खेल के लिए बच्चों के समूह को बनाने में ही कालांश समाप्त हो जाए अतः इस कालांश के बाद के कालांश को ले लिया जाना ठीक होगा।</p> <p>इसके साथ ही शिक्षक/शिक्षिका द्वारा यह नोट भी किया जाता रहेगा कि बच्चे इस खेल के दौरान उक्त अवधारणा से संबंधित किस-प्रकार की गलतियां कर रहे हैं और यह पता लगाए कि वैसा क्यों कर रहे हैं ताकि अगली कक्षा में उसपर बात की जा सके।</p> <p>खेल विधि के माध्यम से बच्चे स्वयं से यह भी सीख पाएं कि किसी खेल को खेलने के लिए एक सामूहिक व्यवस्था में किस प्रकार से काम किया जाता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● इस योजना में कितना लचीलापन है, अर्थात कक्षा के माहौल के हिसाब से इस योजना में बदलाव की कितनी संभावना हो सकती है।</li> <li>● क्या योजना में जेण्डर संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है।</li> <li>● क्या कक्षा के अंत में पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता है? यदि हां तो कैसे करेंगे।</li> <li>● इस विषयवस्तु के लिए किसप्रकार का गृहकार्य उपयोगी होगा।</li> </ul>
--	---

<b>शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिन्दु (शिक्षण के बाद किया जानेवाला कार्य)</b>
<p>कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछें? विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे? क्या उन सवालों के उत्तर को कक्षा में अच्छी तरह समझाया गया, या फिर अगली कक्षा में उनपर बात करनी होगी?</p> <p>बच्चों द्वारा कोई सवाल सीधा मुझसे नहीं पूछा गया। पर बच्चों ने खेल के माध्यम से एक दूसरे से सवाल पूछे।</p> <p>बच्चे मुझसे भी सवाल पूछे, इसके लिए उन्हें अभिप्रेरित किया जाना होगा।</p>
<p>क्या जिन विद्यार्थियों को विशेष सहायता या अनुपूरक शिक्षण की जरूरत है, उनकी पहचान मैंने की? तीन बच्चों की पहचान फिलहाल किया हूं। और भी हो सकते हैं जो गृहकार्य करके लाने पर पता चलेगा।</p>
<p>विषयवस्तु के शिक्षण में मैंने किन शिक्षण-अधिगम सामग्रियों (टी.एल.एम.) का प्रयोग किया? उनकी क्या उपयोगिता रही?</p> <p>इस अवधारणा के लिए कोई अलग संसाधन नहीं उपयोग में लाया गया। खेल को एक माध्यम बनाया गया।</p>
<p>क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषयवस्तु थी? इसका मूल्यांकन मैंने किया कि नहीं।</p> <p>मूल्यांकन को कक्षा के दौरान किया गया। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर हैं। उद्देश्यों को समझने की पूर्ण तभी हो पाएगा जब यह देखा जाएगा कि वे इस अवधारणा का प्रयोग अपने सामान्य कार्यों में कैसे कर रहे हैं।</p>
<p>शिक्षण के दौरान मुझको कक्षा में क्या किसी परेशानी का समना करना पड़ा? इस विषयवस्तु को यदि दुबारा पढ़ाना हो तो मैं सीखने की योजना में क्या बदलाव करूंगा/करुंगी।</p> <p>शुरुआत में बच्चों को अनुशासन में रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन धीरे-धीरे सब स्वयं ही ठीक हो गया। खेल के स्थान पर किसी अन्य विधि का प्रयोग करके भी देखा जा सकता है ताकि उससे बच्चे कितना सीखते हैं।</p>
<p>इस विषयवस्तु से संबंधित ऐसे सवाल जिन्हें अपने संस्थान के विषय-विशेषज्ञ तथा मेंटर से चर्चा करना की अपेक्षा है।</p> <p>इस स्तर पर इकाई, दहाई, सैकड़ा की अवधारणा को कितनी गहराई तक समझाने की आवश्यकता है।</p>
<p>कोई अन्य टिप्पणी</p> <p>समय की व्यवस्था को ध्यान में रखकर चलना होगा।</p>

अवलोकनकर्ता की टिप्पणी		(शिक्षण के दौरान किया जानेवाला कार्य)
<b>अवलोकनात्मक बिन्दु</b>	<p>अवलोकनकर्ता के द्वारा कक्षा का आंखोदेखी वर्णन। जो कुछ भी कक्षा में घटित हो रहा है, उसे सीधे-सीधे दर्ज करना।</p> <p>मैं कक्षा में दस मिनट देर से पहुंचा। अभी कक्षा में यह देखा जा रहा है कि बच्चों को आपने कुछ सवालों को स्वयं से करने के लिए दिया है। आप कुछ बच्चों के पास जाकर उनसे कुछ पुछ रहे हैं। आगे आप खेल करा रहे हैं। इसकी व्यवस्था बना रहे हैं। कुछ शोर हो रहा है पर यह दिख रहा है कि बच्चे उत्साहित हैं।.....</p>	
<b>समीक्षात्मक बिन्दु</b>	<p>कक्षा में जो कुछ भी घटित हुआ, उसपर एन.सी.एफ.-2005, बी.सी.एफ.-2008 व एन.सी.एफ.टी.ई.-2010 द्वारा सुझाये गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में समीक्षात्मक टिप्पणी। प्रशिक्षु से और क्या-क्या अपेक्षा की जा सकती है, इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव।</p> <p>कक्षा में बालकेन्द्रित अवधारणा पर बल दिया गया है। लोकतांत्रिक माहौल को भी बनाया जा रहा है। बच्चों के अपने दैनिक जीवन के गणितीय अवधारणाओं को और विशेष रूप से कक्षा में लाने की आवश्यकता है। कक्षा शिक्षण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रशिक्षु ने अपने शिक्षणशास्त्रीय समझ के साथ शिक्षण किया है जैसेकि.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● बच्चों की अस्मिता एवं विविधता का सम्मान करना।</li> <li>● एक 'प्रोफेशनल' शिक्षक/शिक्षिका के रूप में कक्षा के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में भूमिका निभाना।</li> <li>● आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना।</li> <li>● बिहार के क्षेत्रीय एवं ग्रामीण संदर्भ को महत्व देना।</li> <li>● लोकतांत्रिक कक्षा के माहौल को तैयार करना।</li> <li>● ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना।</li> <li>● पढ़ाई रटत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना।</li> <li>● पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए बजाए इसके कि वह पाठ्यपुस्तक-केंद्रित बन कर रह जाए।</li> <li>● परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।</li> <li>● एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य-व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताए समाहित हों।</li> </ul>

### विद्यालय आधारित कार्यक्रम के लिए कुछ प्रमुख दिशानिर्देश

- सबसे पहले अध्ययन केन्द्र समन्वयक अपने साधनसेवियों के साथ विद्यालय आधारित कार्यक्रम के इस रूपरेखा की विस्तृत चर्चा करेंगे। सभी साधनसेवियों को इसकी एक-एक प्रति देंगे। ज्ञातव्य हो कि डी.एल.एड. (ओ.डी.एल.) पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम पुस्तिका में विद्यालय आधारित कार्यक्रम की जो रूपरेखा दी गई है, उसे संशोधित करके विस्तृत रूप से उसकी संरचना को यहां समझाया गया है। अतः इसे समझना आवश्यक है।
- साधनसेवियों को लर्निंग प्लान का प्रारूप समझाने तथा फिर प्रशिक्षुओं से इसपर चर्चा करने में अध्ययन केन्द्र समन्वयकों की विशेष भूमिका होगी। यह बेहतर होगा यदि सभी प्रशिक्षुओं के पास इस दस्तावेज की एक-एक प्रति हो। अतः सभी सभी प्रशिक्षु इसकी एक कॉपी करा लें।
- केन्द्र समन्वयक/साधनसेवियों से यह अपेक्षा है कि विद्यालय आधारित कार्यक्रम में अपनी भूमिका के अनुसार वे स्वयं की तैयारी कर लें।

- जब पहली बार लर्निंग प्लान को लागू किया गया था तो उसके प्रयोग के बाद कई सुझाव प्राप्त हुए। उनको ध्यान में रखते हुए, यहां लर्निंग प्लान का दूसरा संशोधित प्रारूप दिया गया है। अतः इस बार जो प्रशिक्षु विद्यालय आधारित कार्यक्रम को करनेवाले हैं वे लर्निंग प्लान के संशोधित प्रारूप का ही अनिवार्य प्रयोग करेंगे, न कि पहलेवाले प्रारूप का।
- विद्यालयी विषयों से जुड़े हुए साधनसेवी 1-5 तक की किताबों से स्वयं लर्निंग प्लान बनाकर देखें और उसे एक दूसरे से साझा करें। SBP के पहले सप्ताह के दौरान उन्हें अपने द्वारा बनाए गए एक लर्निंग प्लान के लिखित नमूने को एस.टी.एफ./जिला समन्वयक को अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, ताकि लर्निंग प्लान के प्रति उनके समझ का विश्लेषण करके उसे बेहतर बनाने के लिए उनकी मदद की जा सके। अपने द्वारा बनाए गए लर्निंग प्लान पर अपना नाम, अध्ययन केन्द्र का विवरण तथा अपना फोन नम्बर अवश्य लिखें।
- प्रथम सत्र के 'गणित का शिक्षणशास्त्र-1' के उन साधनसेवियों को भी दूसरे सत्र के दौरान सम्बद्ध अध्ययन केन्द्र पर कुछ समय के लिए लर्निंग प्लान की समीक्षा में आकर मदद करनी होगी। यह उनके कार्य का वह हिस्सा है जो प्रथम सत्र में नहीं हुआ था। अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर, चौथे सत्र में वे पुनः इस कार्य से जुड़ सकेंगे।
- एक्शन रिसर्च को करानेवाले अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी एक्शन रिसर्च के कम से कम दस शीर्षकों की सूची बनाकर SBP के पहले सप्ताह के दौरान अपने एस.टी.एफ./जिला समन्वयक को अनिवार्य रूप से जमा कराएंगे। अपने द्वारा बनाई गई सूची के साथ अपना नाम, अध्ययन केन्द्र का विवरण तथा अपना फोन नम्बर अवश्य लिखें।
- अध्ययन केन्द्र समन्वयक प्रशिक्षुओं के मॉटर से लगातार संपर्क में रहें।
- विद्यालय आधारित कार्यक्रम के विषय में कोई स्पष्टीकरण के लिए आप मार्गदर्शिका में उल्लिखित निम्नलिखित साधनसेवियों से संपर्क कर सकते हैं।
- इस निर्देशिका में दिए गए विवरणों में यदि कोई संशोधन निदेशक (दूरस्थ शिक्षा निदेशालय) के माध्यम से की जाएगी तो उसकी सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

विद्यालय आधारित कार्यक्रम	SBP.1 व SBP.2
विशेषज्ञों के नाम	संपर्क
डॉ० एस.ए. मोईन, निदेशक दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, एस.सी.ई.आर.टी., बिहार	09473343786 samoin@rediffmail.com
डॉ० ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट, हाजीपुर (वैशाली)	09334334518 gyandeo@gmail.com
चन्दन श्रीवास्तव सी.आई.ई., शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	08252590741 08527211073 chandan.edu@gmail.com

**विद्यालय आधारित कार्यक्रम के सफल क्रियांवयन की शुभकामनाएँ.....**

## विद्यालय आधारित कार्यक्रम को करने के बाद फीडबैक देने हेतु प्रपत्र

प्रशिक्षु का नाम :	फोन नं० :
रजिस्ट्रेशन न० :	अध्ययन केन्द्र कोड :
अध्ययन केन्द्र :	जिला :

1. विद्यालय आधारित कार्यक्रम के कौन से भाग/भागों को आप अब तक अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं?  
 शिक्षण अभ्यास  एक्शन रिसर्च  विद्यालय गतिविधियाँ  विद्यालय उन्नयन योजना
2. आपने कुल कितने लर्निंग प्लान पर अपने अध्ययन केन्द्र के साधनसेवियों से चर्चा की, संख्या बताएं।  
 .....
3. आपको किस विषय का लर्निंग प्लान बनाने में अधिक कठिनाई आई? आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है?  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
4. क्या अध्ययन केन्द्र के साधनसेवियों ने लर्निंग प्लान को समझने में आपकी सक्रिय सहायता की? कैसे या कैसे नहीं?  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. क्या मेंटर के सुझाव से आपको अपने कक्षा-शिक्षण को बेहतर बनाने में मदद मिली? कैसे या कैसे नहीं?  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
6. लर्निंग प्लान का उपयोग करने के लिए आपने अपने विद्यालय या निकटवर्ती विद्यालय के कितने शिक्षकों को प्रोत्साहित किया तथा उनको इसके बारे में समझाया? क्या इसका उनपर कोई प्रभाव पड़ा?  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
7. लर्निंग प्लान को बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे/देंगी?  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

8. आपके एक्शन रिसर्च का जो शीर्षक है, उसे लिखें।

9. एक्शन रिसर्च का यह शीर्षक आपने क्यों चुना, संक्षेप में कारण बताएं।



10. एक्शन रिसर्च को समझने में क्या अध्ययन केन्द्र के साधनसेवी ने आपकी मदद की?

11. विद्यालय गतिविधियों के अंतर्गत, आपने अपने विद्यालय में जिन नयी गतिविधियों को कराया या उनकी शुरुआत की? उनका उल्लेख करें।

12. आपके विद्यालय उन्नयन योजना का जो शीर्षक है, उसे लिखें।

13. विद्यालय उन्नयन योजना के अंतर्गत आपने इस शीर्षक को ही क्यों चुना?

14. विद्यालय आधारित कार्यक्रम में अपने प्रदर्शन को यदि आपको स्वमूल्यांकित करने को कहा जाए तो आप स्वयं को 10 के स्केल पर कहां आँकेंगे। नीचे स्केल में दिए गए किसी एक संख्या पर टिक करें।

असंतोषप्रद प्रदर्शन					संतोषप्रद प्रदर्शन					श्रेष्ठ प्रदर्शन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

15. विद्यालय आधारित कार्यक्रम से संबंधित कोई अन्य सुझाव

यदि आवश्यकता हो तो आप इस फ्रीडबैक फॉर्म में अतिरिक्त पन्नों को जोड़ लें तथा अनिवार्य रूप से इसे अपने जिले के एस.टी.एफ. को जमा कराएं या फिर इसकी फोटो खींचकर [deled.odl.bihar@gmail.com](mailto:deled.odl.bihar@gmail.com) पर ई-मेल करें या इसकी एक कॉपी अपने पास रखकर मूल प्रति को इस पते पर भेज दें :

डॉ. एस. ए. मोईन  
निदेशक, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय,  
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.)  
महेन्द्र, पटना-800006, बिहार